संoसंo : निग/सारा(पथ)–01–विoकाo–05–225/2016(अंश) ..... राँची, दिनांक :–

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–(N) 1904 (अनु0) दिनांक 12.08.2016 के द्वारा श्री लेवा मिंज, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, N.R.E.P. ,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल के दौरान मनरेगा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के असमायोजित अग्रिम एवं उक्त संबंध में बरती गयी अनियमितता इत्यादि के आरोप के संबंध में आरोप पत्र गठित कर प्रेषित किया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–5353, दिनांक–31.10.2019 के द्वारा श्री मिंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. श्री मिंज के दिनांक 31.12.2019 को वार्धक्य सेवानिवृत के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश सं0 713 (S) दिनांक–26.02.2020 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. श्री मिंज के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–51 (अनु0) ,दिनांक–11.02.2020 में उनके विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. अतः संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्री लेवा मिंज तदेन कार्यपालक अभियंता, N.R.E.P. ,पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : निग/सारा(पथ)–01–विoकाo–05–225/2016(अंश) .....1680..... **राँची, दिनांक :–** 04/11/2020

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी,ई–गजट को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सुनीत 04/11

सरकार के अवर सचिव

04/11/20

6/11/20